सार्वजनिक विज्ञप्ति

महिला कल्याण निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

भाग्य लक्ष्मी योजना हेतु संस्थाओ के चयन के लिये अभिरूचि का अभिव्यक्तिकरण (Expression of Interest)

भाग्य लक्ष्मी योजना 2017–18 में संचालित किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर रू0 50 हजार का विकास बाण्ड तथा बेटी के कक्षा–6 में पहुॅचने पर रू0 03 हजार, कक्षा 8 में पहुॅचने पर रू0 05 हजार, कक्षा 10 में पहुॅचने पर रू0 07 हजार तथा कक्षा 12 में पहुॅचने पर रू0 08 हजार एवं बेटी के 21 वर्ष की होने पर रू0 02 लाख दिया जाना प्रस्तावित है वर्ष 2017 की प्रोजेक्टेड जनसंख्या के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 6.50 लाख बालिकाऐ आच्छादित करना संभावित है।

उक्तानुसार विकासबाण्ड तथा निर्धारित समयावधि में उपरोक्तानुसार प्रस्तावित धनराशि उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न शासकीय एंव अर्धशासकीय संस्थानों, राष्ट्रीकृत बैंकों, शासकीय बीमा निगम कम्पनियों से विस्तृत एंव पूर्ण विवरण सहित (वित्तीय आंकलन के साथ) प्रस्ताव सभी सम्भावित विकल्पों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 29.04.2017 तक आमन्त्रित किये जाते हैं। ऐसी शासकीय संस्थाओं को वरीयता दी जायेगी जिनका उक्त प्रकार का कार्य करने एंव समयान्तर्गत बाण्ड/धनराशि उपलब्ध कराने का पर्याप्त अनुभव एंव क्षमता हो। बेटी को धनराशि उसके बैंक खाते में सीधे पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भेजी जायेगी । इच्छुक संस्थाएं किसी भी कार्य दिवस में श्रीमती आरती श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, महिला कल्याण से उनके कार्यालय दूरभाष संख्या– 0522–2288647 एंव मोबाइल संख्या–9453072885 पर सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकती हैं । संबंधित संस्थाएं अपना हस्ताक्षरित पूर्ण प्रस्ताव जवाहर भवन के 6वें तल पर स्थित कक्ष संख्या–638 में रखे बाक्स में दिनांक 22.05.2017 की अपराहन 3.00 बजे तक डाल सकते हैं । संस्था चयन का अधिकार निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ में निहित होगा। संस्थाओ को निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के समक्ष कार्ययोजना/प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण करना होगा। प्रस्तुतीकरण उपरान्त पात्रता/मापदण्ड पूर्ण करने वाली चयनित संस्थाओ के मध्य खुली निविदा/ई–टेण्डर के माध्यम से दरें प्राप्त की जायेगी। संस्था के अन्तिम चयन पश्चात यथोचित एंव समयबद्ध कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने हेतु विभाग एंव संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा ।

11/05/17

राम केवल,
निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ।